अध्याय-4

बोर्ड द्वारा उपकर निधि का उपयोग और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय 4

बोर्ड द्वारा उपकर निधि का उपयोग और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

- कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय कुल प्राप्तियों का केवल 9.53 और 11.33 *प्रतिशत* के बीच रहा सिवाय 2021-22 के जब कोविड महामारी काल से निपटने के लिए बीओसीडब्ल्यू को अनुग्रह भुगतान किया गया था।
- 2019-20 से 2022-23 के दौरान 17 में से केवल 12 योजनाओं के अंतर्गत ही हितलाभ प्रदान किए गए थे क्योंकि पांच योजनाओं[1] में कोई व्यय नहीं किया गया था।
- वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सन्निर्माण कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता राशि ₹ 46.08 करोड़ थी जिसे 58,998 विद्यार्थियों में वितरित किया जाना था, इस राशि को केवल मार्च 2022 में बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय को जारी किया गया था।
- भारत सरकार द्वारा राज्यों को सलाह दिए जाने (अक्टूबर 2018) के बावजूद कि वे बीओसी कर्मकारों को काम मिलने तक पारगमन आवास/श्रम शेड सह रात्रि आश्रय, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, बोर्ड ने दिल्ली में इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।
- बोर्ड ने 2019-20 में 350 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा बीओसी कर्मकारों और उनके आश्रितों को आगे कोई अन्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था, जो उन्हें अपने कौशल को उन्नत करने या नए कौशल प्राप्त करने में विविधता लाने में मदद कर सके।

[1] (क) गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (ख) घर की खरीद या निर्माण हेतु अग्रिम (ग) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद हेतु ऋण (घ) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद हेतु अनुदान (ङ) बीमा पॉलिसी।

- बोर्ड ने जून 2019 में भारत सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी, परंतु इसे लागू नहीं किया और अभी भी देय ₹ 4 लाख और ₹ 2 लाख के बजाय क्रमशः दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में केवल ₹ 2 लाख और सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 1 लाख की सहायता प्रदान करना जारी रखा।
- आयुष्मान भारत/प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) देश भर में किसी भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल सेवा के साथ अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹ 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। श्रम विभाग और बोर्ड ने इस लाभकारी योजना के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के बीओसीडब्ल्यू को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था और इस प्रकार वे अधिकतम ₹ 10,000 की मामूली चिकित्सा सहायता के लिए ही पात्र हैं।

बोर्ड द्वारा संग्रहित उपकर, उस पर अर्जित ब्याज तथा बीओसीडब्ल्यू से संग्रहित पंजीकरण/नवीकरण शुल्क आदि का उपयोग बोर्ड पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों तथा उनके परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, आवास ऋण, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा तथा प्रसूति हितलाभ आदि जैसी 17 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक तथा स्वास्थ्य हितलाभ प्रदान करने के लिए करता है।

मार्च 2023 तक बोर्ड के पास ₹ 3,579.05 करोड़ की धनराशि संचित थी।

इसके प्रति, बोर्ड द्वारा 2019-20 से 2022-23 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: बोर्ड की कुल प्राप्तियों की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्तियां	कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर व्यय	कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय (*प्रतिशत* में)
2019-20	431.66	48.89	11.33
2020-21	387.56	36.95	9.53
2021-22	357.57	458.08[2]	128.11
2022-23	597.63	61.10	10.22
कुल	**1,774.42**	**605.02**	

चार्ट 4.1: बोर्ड की कुल प्राप्तियों की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण

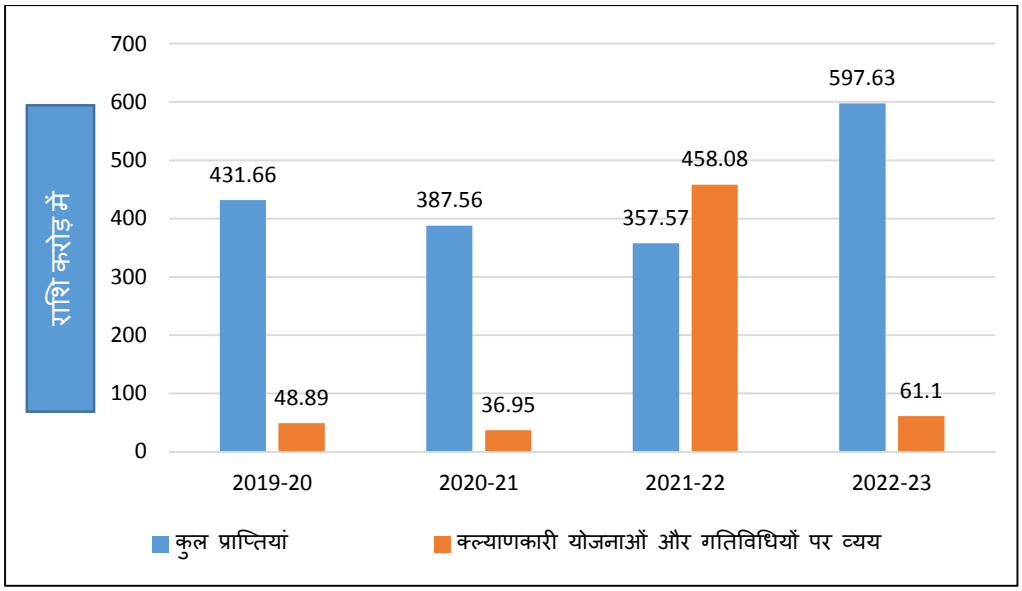

[2] इसमें कोविड महामारी काल से निपटने के लिए बीओसीडब्ल्यू को दी गई अनुग्रह राशि भी शामिल है।

चार्ट 4.2: संग्रहित उपकर और उस पर अर्जित ब्याज की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किया गया व्यय

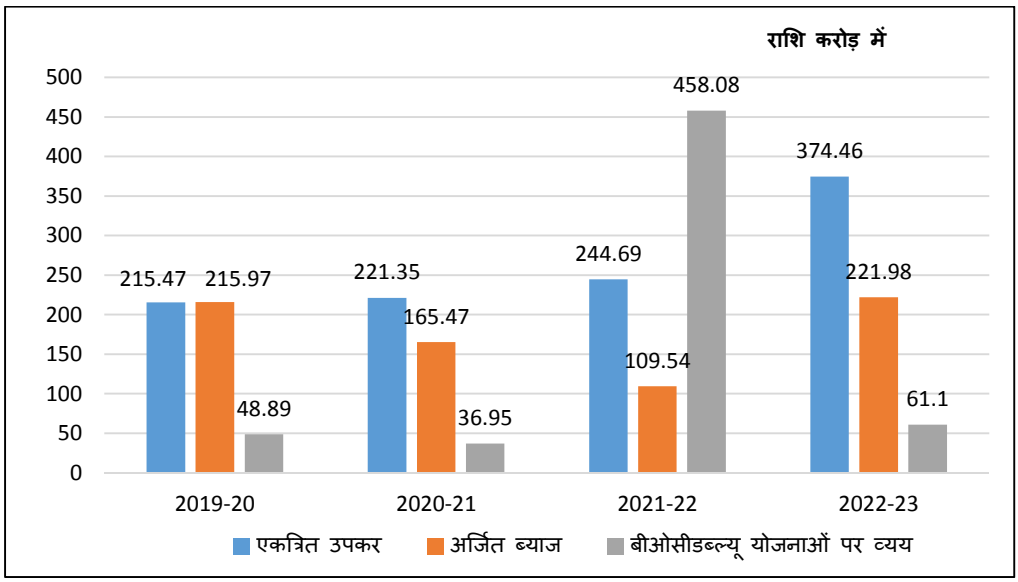

जैसा कि देखा जा सकता है, कल्याण पर व्यय कुल प्राप्तियों का 9.53 और 11.33 *प्रतिशत* के बीच रहा, सिवाय 2021-22 के जब कोविड महामारी काल से निपटने के लिए बीओसीडब्ल्यू को अनुग्रह भुगतान किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2019-23 के दौरान ₹ 605.02 करोड़ की कुल सहायता राशि में से ₹ 527.42 करोड़ (87 *प्रतिशत*) अनुग्रह भुगतान के कारण थे और कुल व्यय का केवल 12.83 *प्रतिशत* (कुल प्राप्तियों का 0.05 *प्रतिशत* से भी कम) नियमित कल्याण गतिविधियों पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2022-23 के दौरान 17 योजनाओं **(अनुलग्नक-III)** में से केवल 12 के अंतर्गत हितलाभ दिए गए क्योंकि पांच योजनाओं[3] में कोई व्यय नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि दावों के तहत हितलाभ आवेदन आधारित हैं, और बोर्ड ने एक वेब पोर्टल विकसित किया है जो सन्निर्माण कर्मकारों को उपलब्ध विभिन्न हितलाभों, पंजीकरण, नवीकरण और स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में बीओसी कर्मकारों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक वीडियो फुटेज प्रदान करता है। बोर्ड योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अधिकतम बीओसीडब्ल्यू को बोर्ड के दायरे में लाने के लिए बीओसी कर्मकारों

[3] (क) गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (ख) घर की खरीद या निर्माण हेतु अग्रिम (ग) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (घ) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान (ङ) बीमा पॉलिसी।

के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निर्माण स्थलों, कर्मकार चौकों पर विभिन्न शिविरों का आयोजन भी करता है।

तथापि, तथ्य यह है कि बहुत कम कर्मकार इसका लाभ उठा रहे हैं, जो दर्शाता है कि बोर्ड द्वारा किए गए प्रयास अपर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा ने बीओसीडब्ल्यू के लिए कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने में बोर्ड की ओर से कमियां देखीं, जिनकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

4.1 कोविड-19 के दौरान बोर्ड का कामकाज और भारत सरकार के निर्देशों का पालन

कोविड-19 के प्रकोप के कारण बीओसीडब्ल्यू के समक्ष उत्पन्न अभूतपूर्व संकट को देखते हुए, भारत सरकार ने जुलाई 2020 में एक फास्ट-ट्रैक समयबद्ध मिशन मोड परियोजना (परियोजना) शुरू की। भारत सरकार ने आकलन किया कि 14 जुलाई 2020 तक अनुमानित बीओसी कर्मकारों में से केवल आधे का पंजीकरण नवीकृत किया गया था और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के अंदर प्रक्रियाओं को आसान बनाकर सभी शेष बीओसी कर्मकारों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

भारत सरकार के अनुसार (जुलाई 2020), सभी राज्यों के सामूहिक आंकड़ों की तुलना में दिल्ली में बीओसी कर्मकारों के पंजीकरण की स्थिति **तालिका 4.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.2: भारत और दिल्ली में पंजीकृत बीओसी कर्मकारों की स्थिति

(संख्या लाख में)

विवरण	बीओसी कर्मकारों की लक्षित संख्या	पंजीकृत बीओसी कर्मकारों की संख्या	14 जुलाई 2020 तक अपना पंजीकरण नवीकृत करने वाले बीओसी कर्मकारों की संख्या
अखिल भारतीय	500	347.75 (69.6%)	257.55 (74%)
दिल्ली	7.89	5.49 (69.5%)	0.40 (7.3%)

चार्ट 4.3: भारत और दिल्ली में पंजीकृत बीओसी कर्मकारों की स्थिति

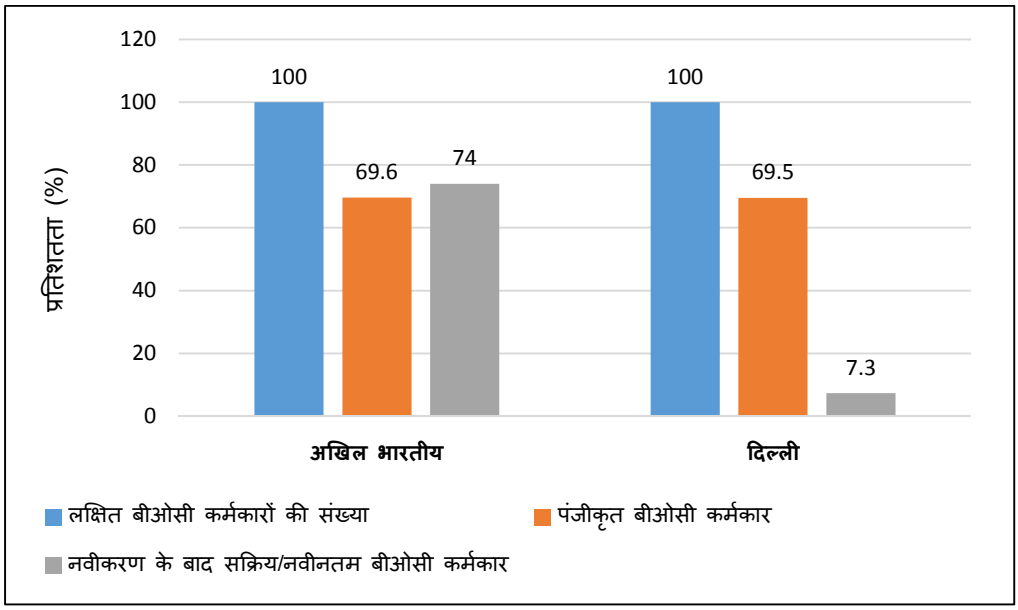

उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार, पंजीकरण के नवीकरण के मामले में दिल्ली अखिल भारतीय प्रदर्शन से बहुत पीछे थी जो कि मात्र 7.3 *प्रतिशत* था जबकि अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण का नवीकरण 74 *प्रतिशत* था। इसने कोविड-19 जैसे संकट के दौरान निर्वाह भत्ता प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई और ना ही लागू की तथा भारत सरकार के सुझाव के अनुसार राज्यों में प्रवास करने वाले बीओसीडब्ल्यू के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण की सुविधा विकसित नहीं की। तथापि, 2019-20 से 2022-23 के दौरान, जब कोविड-19 के कारण और प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण सन्निर्माण गतिविधियां बंद थीं, सन्निर्माण कर्मकारों की सहायता करने के लिए, बोर्ड ने 9.48 लाख लाभार्थियों को कुल ₹ 528.42 करोड़ का अनुग्रह भुगतान किया (चार अवसरों पर ₹ 5,000, तीन कोविड-19 के दौरान और चौथा जब सन्निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित थीं)। बीओसीडब्ल्यू को किए गए भुगतान का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3: लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किए गए अनुग्रह भुगतान का विवरण

किस्त	भुगतान की तिथि	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)		राशि (₹ करोड़ में)
		भुगतान हेतु स्वीकृत	वास्तव में किया गया भुगतान	
प्रथम और द्वितीय	31.03.2020 से 07.01.2022 तक	1.18	1.10	109.57
तृतीय	22.04.2021 से 04.05.2022 तक	3.17	2.98	148.87
चतुर्थ	27.11.2021 से 19.07.2022 तक	6.17	5.40	269.98
कुल		**10.52**	**9.48**	**528.42**

जैसा कि देखा जा सकता है, ये भुगतान, जिनका उद्देश्य बीओसीडब्ल्यू को तत्काल संकट से उबारना था, लंबी अवधि तक किए गए थे, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो गई। अनुग्रह राशि का भुगतान करने में देखी गई कमियां/अनियमितताएं इस प्रकार थीं:

(क) बीओसीडब्ल्यू को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए इच्छित अनुग्रह राशि का भुगतान सभी चार किस्तों में देरी से किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अंतिम किस्त में, 1,25,437 सन्निर्माण कर्मकारों को आदेश जारी होने के चार से आठ महीने बाद भुगतान किया गया था।

(ख) उपर्युक्त तालिका के अनुसार, बीओसी कर्मकारों में से केवल 90 *प्रतिशत* को, जो अनुग्रह राशि प्राप्त करने के पात्र थे, वास्तव में यह राशि प्राप्त हुई। चतुर्थ किस्त में, बोर्ड 77,230 सन्निर्माण कर्मकारों को ₹ 38.62 करोड़ का निर्वाह भत्ता प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि उसके पास सही और अद्यतित बैंक विवरण नहीं था। इसके अतिरिक्त, सभी सन्निर्माण कर्मकारों को समान राशि का भुगतान किया गया, जबकि भुगतान संबंधित श्रेणियों के कर्मकारों के लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित मज़दूरी के अनुसार किया जाना था।

(ग) इन बीओसी कर्मकारों के आंकड़ों की सीजीएचएस और वॉहन आंकड़ों के साथ तुलना करने पर पता चला कि 47 मामले उन पंजीकृत कर्मकारों से संबंधित थे जो सीजीएचएस लाभार्थी भी थे और 1,204 लाभार्थी निजी उपयोग के लिए पंजीकृत चार पहिया वाहनों के मालिक थे।

(घ) यह भी पाया गया कि भुगतान विफलताओं के कारण 27,970 चिह्नित लाभार्थियों को प्रथम तीन किस्त में ₹ 18.33 करोड़ का भुगतान नहीं किया जा सका, जो यह दर्शाता है कि बोर्ड द्वारा बैंक खाता विवरण को प्राप्त/अद्यतित नहीं किया गया था।

(ङ) यद्यपि सर्दियों के महीनों में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण हर वर्ष सन्निर्माण गतिविधियां रोक दी जाती हैं, फिर भी बोर्ड द्वारा 2021 के बाद निर्वाह भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया।

उपर्युक्त तथ्य सरकार/बोर्ड द्वारा अपने कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफलता को दर्शाते हैं। प्रदूषण के कारण काम रुकना अब हर वर्ष की बात हो गई है और एक अधिक मज़बूत प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि

- बोर्ड प्राकृतिक आपदाओं के कारण सन्निर्माण कार्य बंद हो जाने पर बीओसी कर्मकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक योजना तैयार करने की प्रक्रिया में था।
- बोर्ड अपने डाटाबेस को ई-श्रम डाटा के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में भी था, ताकि डाटा की सुवाह्यता सुनिश्चित की जा सके, जिसे किसी भी राज्य द्वारा एक्सेस किया जा सके।
- बोर्ड सन्निर्माण कर्मकारों की सदस्यता का पंजीकरण/नवीकरण आधार प्रमाणन और डीबीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस), 2002 के नियम 266 के अनुसार करता है। इसने आगे कहा कि सीजीएचएस और वॉहन डेटा के साथ दुतरफा पड़ताल संभव नहीं थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का मानना है कि बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल वास्तविक बीओसीडब्ल्यू को ही हितलाभ दिए जाते हैं।
- बोर्ड के सभी 11 जिला कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे बीओसी कर्मकारों को समय पर हितलाभ पहुंचाने के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक विवरण को अद्यतित करें। इसके अतिरिक्त, इस सुविधा के लिए प्रत्येक जिला कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

सिफारिश 6: सन्निर्माण कार्य बंद होने पर बीओसी कर्मकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार को एक नियमित योजना शुरू करने की आवश्यकता है और पंजीकृत स्थानांतरित बीओसी कर्मकारों से संबंधित डेटा की अंतर-राज्यीय सुवाह्यता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

सिफारिश 7: बोर्ड को निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा ताकि बीओसी कर्मकारों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

4.2 बीओसीडब्ल्यू के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

बोर्ड की 10 चयनित योजनाओं[4] के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां निम्नानुसार हैं:

(i) वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए **सन्निर्माण कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए** 58,998 छात्रों को वितरित करने के लिए ₹ 46.08 करोड़ की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय को केवल मार्च 2022 में जारी की गई थी और बाद के वर्षों के लिए हितलाभ का सितंबर 2023 तक भुगतान किया जाना बाकी था। विभिन्न योजनाओं से संबंधित 4,017 दावों में से 134 में वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने में 1,423 दिनों तक की देरी भी हुई। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2021 या उससे पहले जारी किए गए 15 संस्वीकृति आदेशों के संबंध में भुगतान उत्तर पश्चिम जिले के पास लंबित थे। इसके अलावा, कमियों के कारण बोर्ड (मुख्यालय) द्वारा जिलों को लौटाए गए 137 संस्वीकृति आदेशों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि एक से अधिक विभागों की संलिप्तता के कारण राशि वितरित करने में थोड़ा अधिक समय लगता है। आगे कहा गया कि इन हितलाभों को न्यूनतम संभव समय में प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आवेदनों पर कार्रवाई करने में देरी का कारण आवेदक द्वारा जिला अधिकारी द्वारा जारी की गई कमियों को दूर करने में देरी को बताया गया।

[4] (i) पेंशन हितलाभ, (ii) प्रसूति हितलाभ, (iii) मृत्यु हितलाभ, (iv) शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, (v) विवाह के लिए वित्तीय सहायता, (vi) अशक्तता पेंशन, (vii) अंतिम संस्कार सहायता, (viii) चिकित्सा सहायता, (ix) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, और (x) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण।

(ii) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बोर्ड को मृत लाभार्थी के आश्रित/आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु के मामले में न्यूनतम ₹ 4 लाख और सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 2 लाख का कवरेज प्रदान करना था या प्रीमियम राशि का अंशदान करके ***प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना*** के अंतर्गत 50 वर्ष की आयु तक के बीओसी कर्मकारों को कवर करना था। बोर्ड ने जून 2019 में भारत सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी, परंतु इसे लागू नहीं किया और अभी भी दुर्घटना में मृत्यु के मामले में केवल ₹ 2 लाख और सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 1 लाख की सहायता प्रदान करना जारी रखा।

बोर्ड ने कहा (सितंबर 2023) कि उसने मई 2023 में बीमा के स्थान पर सामान्य मृत्यु के मामले में ₹ 10 लाख और दुर्घटना में मृत्यु के मामले में ₹ 12 लाख की सहायता को मंज़ूरी दी है और यह प्रक्रियाधीन है। तथापि सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड के पास दिल्ली के सन्निर्माण कर्मकारों के लिए जीवन और अशक्तता सुरक्षा के लिए अपनी स्वयं की कल्याणकारी योजनाएं हैं। तथ्य यह है कि भारत सरकार के मानदंडों को अपनाने के बावजूद, बोर्ड ने वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान मृत 782 कर्मकारों के आश्रित/आश्रितों को हितलाभ की परिकल्पित राशि प्रदान नहीं की।

इसके अतिरिक्त, समयबद्ध तरीके से दावों को संसाधित करने के लिए चयनित जिलों में मृत लाभार्थियों के विवरण वाले रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। अपने उत्तर में (अगस्त 2023), उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय ने कहा कि उसने अब रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया है।

(iii) **आयुष्मान भारत/प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)** देश भर में किसी भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और श्रम और रोज़गार मंत्रालय (एमओएलई) ने राज्य कल्याण बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) के अंतर्गत पंजीकृत बीओसीडब्ल्यू को इस योजना के अंतर्गत हितलाभ देने के लिए सहयोग किया था। तथापि, श्रम विभाग और बोर्ड ने इस लाभकारी योजना के तहत रा.रा.क्षे. दिल्ली के बीओसीडब्ल्यू

को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था और इस प्रकार वे अधिकतम ₹ 10,000 की मामूली चिकित्सा सहायता के लिए ही पात्र हैं। मार्च 2025 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

(iv) भारत सरकार द्वारा राज्यों को सलाह दिए जाने (अक्टूबर 2018) के बावजूद कि वे बीओसी कर्मकारों को काम मिलने तक **पारगमन आवास/श्रम शेड-सह-रात्रि आश्रय, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश** की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, बोर्ड ने दिल्ली में इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि पात्र आवेदकों को आवास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड की अपनी समर्पित योजना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पारगमन आवास, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश प्रदान करने की योजना को लागू करने के लिए अभिलेख पर कोई विचार-विमर्श नहीं पाया गया और घर की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम देने की योजना पर बोर्ड द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया था।

(v) भारत सरकार ने बोर्ड की **कौशल विकास गतिविधियों** को राज्य कौशल विकास मिशनों/कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलाने की परिकल्पना की (अक्टूबर 2018) ताकि बीओसी कर्मकारों और उनके आश्रितों को अपने कौशल को उन्नत करने या नए कौशल प्राप्त करने में विविधता लाने में मदद मिल सकें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने 2019-20 में 350 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा उन्हें कोई अन्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि सिफारिश को कार्यान्वयन के लिए नोट कर लिया गया है।

(vi) डीबीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) नियमावली, 2002 के अनुसार, कम से कम एक वर्ष के लिए पंजीकृत बीओसी कर्मकार, साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹ 3,000 प्रति माह की पेंशन के लिए पात्र था, जिसमें प्रति वर्ष ₹ 300 की वृद्धि होती थी। भारत सरकार द्वारा जारी (नवंबर 2018) बीओसी कर्मकारों के लिए मॉडल कल्याण योजना के अनुसार, पेंशन के लिए पात्रता अवधि 10 वर्ष थी और बोर्ड को अपनी वित्तीय क्षमता के आधार पर पेंशन योजनाएं बनानी थीं। मॉडल योजना की अनदेखी करते हुए, बोर्ड ने केवल तीन वर्ष की पात्रता अवधि वाले बीओसी कर्मकार को पेंशन स्वीकृत की (जून 2019)। इसके बावजूद,

केवल एक वर्ष तक पंजीकृत रहने वाले कर्मकारों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

अपने उत्तर में (सितंबर 2023), बोर्ड ने अधिनियम (तीन वर्ष) और नियमावली[5] में पात्रता अवधि के अंतर को विसंगति के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सरकार ने आगे कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड अपनी बोर्ड बैठकों में लिए गए निर्णयों और समय-समय पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बीओसी कर्मकारों को पेंशन वितरित करने के लिए बाध्य है, जो सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष की अवधि (एक वर्ष की मौजूदा अवधि के बजाय) के लिए पंजीकृत थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन वर्षों के बजाय एक वर्ष की पात्रता अवधि के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

सिफारिश 8: बोर्ड को रा.रा.क्षे.दि. में रहने वाले बीओसीडब्ल्यू के कल्याण के लिए भारत सरकार के विभिन्न निर्देशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि उनकी जीवन-निर्वाह स्थितियों में सुधार हो सके।

4.3 सीमा से अधिक प्रशासनिक व्यय

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 24(3) में प्रावधान है कि किसी भी वित्त वर्ष में बोर्ड का प्रशासनिक व्यय उस वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के पांच *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, 2021-22 को छोड़कर प्रशासनिक व्यय 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल व्यय के 7.19 और 11.01 *प्रतिशत* के बीच रहा, जैसा कि **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: कुल व्यय की तुलना में प्रशासनिक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक व्यय
2019-20	3.79	52.68	7.19
2020-21	4.57	41.52	11.01
2021-22	7.05	465.13	1.52
2022-23	5.08	66.18	7.67

[5] अधिनियम में तीन वर्ष और नियमावली में एक वर्ष।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी के प्रतिवेदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया था (पैरा संख्या 3.2.10.1)। बोर्ड को अपने प्रशासनिक व्यय को अनुमत सीमाओं के अंदर कम करने की आवश्यकता है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड अपने प्रशासनिक व्यय को कुल व्यय के पांच *प्रतिशत* की सीमा के अंदर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और कल्याणकारी व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।